



2026:AHC:29767

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट - ए सं. - 1941 सन् 2026

पारस नाथ राम

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....प्रतिवादी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता(गण)	: अभिषेक भूषण, हिमांशु सिंह
प्रतिवादी के अधिवक्ता(गण)	: सी.एस.सी.

न्यायालय सं. - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. रिट याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक भूषण और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री मनीष कुमार को सुना।
2. वर्तमान याचिका में की गई एकमात्र प्रार्थना प्रतिवादी संख्या 2 के समक्ष दिनांक 05.08.2025 की अपील के निस्तारण के लिए है।
3. बार में इस प्रकार की गई प्रस्तुतियों पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निस्तारण किया जाता है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 को आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करने की तारीख से एक महीने की अवधि के भीतर लंबित अपील पर निर्णय लेने की आवश्यकता होती है।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

फरवरी 11, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"